

न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक
(डॉ.सौम्या झा आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

85/2011
08.04.2011

इन्द्रादेवी पत्नि श्योजी जाति माली निवासी महुआ तहसील व जिला टोंक राज०

..... प्रार्थीया

बनाम

1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर)
टोंक

2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई,
नेशनल हाइवे नं० 12 टोंक।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री सीताराम विजय,अभिभाषक प्रार्थीगण

(2) श्री रामधन सैनी व श्री दीपक शर्मा,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2

निर्णय

दिनांक 04.03.2025

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम महुवा तहसील टोंक की भूमि ख०नं० 333 मे से 300 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थीया अपनी भूमि का बाजार मूल्य की दर से, पेड-पौधो,आबादी एवं व्यवसायिक भूमि की दर से तथा भूमि पर लगे पेड-पौधो का मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड 1386/09 दिनांक 06.07.2010 को निरस्त कर भूमि का बाजार मूल्य की दर से,पेड-पौधो, आबादी एवं व्यवसायिक भूमि की दर से तथा भूमि पर लगे पेड-पौधो का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 1386/09 दिनांक 06.07.2010 तलब की गई एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थीया की भूमि ख०नं० 333 मे से कुल रकबा 300 वर्गमीटर वाके ग्राम महुवा मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थीया द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थीगण को नोटिस जारी

- 935 -



आई.बी.ट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

किया गया था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म चाही-1 राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। प्रार्थीया आबादी भूमि की दर से तथा भूमि पर लगे पेड़-पौधों की भूमि का मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2 सुनी। जवाब/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली तथा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति० जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थीया की भूमि ख०न० 333 में से 300 वर्गमीटर किस्म जमीन चाही-1 वाले ग्राम महूवा का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीया द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य की दर से, पेड़-पौधों, आबादी एवं व्यवसायिक भूमि की दर से तथा भूमि पर लगे पेड़-पौधों का मुआवजा का चाहा गया है, परन्तु उनके द्वारा इसकी तायद में साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। अवार्ड पत्रावली में संलग्न सर्वे प्रपत्र दिनांक 21.04.2010 के अनुसार उक्त भूमि पर पेड़-पौधों वृक्षों का विवरण नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. सी. आर. झा)
आरबीटिटर, एन.सूच.-12
आरबीटिटर (जिला कलेक्टर)
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)